गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

ई–पंजीकरण सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अनुसार गोरखपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त अनुमति के आधार पर श्री विकास केजरीवाल पार्टनर एश्प्रा लाईफ स्पेसेज, कारपेट आफिस द्वितीय तल बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर द्वारा पाम पैराडाईज आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्मित ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के 50 फ्लैटों तथा एल0आई0जी0 श्रेणी के 70 फ्लैटों का लाटरी के माध्यम से आवंटन हेतु दिनांक 21 / 7 /2025 से दिनांक 14 / 8 /2025 तक आनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण, नियम व शर्त प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** पर उपलब्ध है। जिसपर इच्छुक व्यक्ति आनलाइन आवेदन कर सकते है।

(पुष्पराज सिंह)
सचिव

(आनन्द वर्द्धन)
उपाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अन्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त अनुमति के आधार पर श्री विकास केजरीवाल पार्टनर एश्प्रा लाईफ स्पेसेज, कारपेट आफिस द्वितीय तल बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर द्वारा पाम पैराडाईज आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्मित अल्प आय वर्ग तथा दुर्बल आय वर्ग के फ्लैट प्राप्त करने का सुनहरा अवसर ।

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि दिनांक 21.07.2025 पंजीकरण समाप्ति तिथि दिनांक 14.08.2025

उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अन्तर्गत पाम पैराडाईज आवासीय योजना में सभी सुविधाओं से युक्त 4 तल के फ्लैट का निर्माण किया गया है, जिसका आवंटन, उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाटरी के माध्यम से किया जायेगा ।

निर्मित किये गये भवनों एवं उसकी पंजीकरण धनराशि व भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :–

सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	तलों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	विक्रय मूल्य रूपयें में	पंजीकरण धनराशि		आवंटन धनराशि 25 प्रतिशत	अवशेष धनराशि		अवशेष धनराशि 10 वर्षो में 10 प्रतिशत ब्याज सहित मासिक किश्तों में	
					सामान्य वर्ग 10 प्रतिशत	आरक्षित वर्ग 05 प्रतिशत		सामान्य वर्ग	आरक्षित	सामान्य वर्ग	आरक्षित
ई0डब्लू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग)	50	G+7	35.00	5,40,000.00	54,000.00	27,000.00	1,35,000.00	3,51,000.00	3,78,000.00	4,640.00	4,997.00
एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग)	70	G+7	41.00	10,80,000.00	1,08,000.00	54,000.00	2,70,000.00	7,02,000.00	7,56,000.00	9,281.00	9,995.00

1– आवेदन हेतु पात्रता

(1) आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए ।

(2) आवेदक उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए ।

(3) आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र/गोरखपुर विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/नगर निकाय/इंप्रूवमेंट ट्रस्ट/सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों मेंअपना भूखण्ड/भवन नही होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थानों द्वारा कालोनियों में 1 से अधिक भूखण्ड अथवा भवन नही होना चाहिए।

(4) शासनादेश संख्या 3267/आठ–1–16–80विविध/10 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, दिनांक 24.10.2016 के अनुसार भारत सरकार/HUDCO के सर्कुलर संख्या–88/डी.एफ./2015 दिउनांक 14.12.2012 द्वारा ई0डब्लू0एस0, एल0आई0जी0 के परिवारों के वार्षिक आय का पुनरीक्षण किया जा चुका है, जिसके कम में ई0डब्लू0एस0 के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख तक तथा एल0आई0जी0 परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक परन्तु रू0–6 लाख तक होगी । भविष्य में भी भारत सरकार/HUDCO द्वारा मानक पुनरीक्षित करने पर उसे यथावत लागू माना जायेगा (आय के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी जो कि तहसीलदार से कम स्तर का न हो द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

2– स्पष्टीकरण :

निर्मित क्षेत्रफल से तात्पर्य दीवारें, कमरें, बाथरूम, रसोई घर, बालकनी आदि से आच्छादित क्षेत्रफल सम्मिलित होंगे जो भवन स्वामी के एकांतिक कब्जे **(Exclusive Possesion)** में होगा । निर्मित क्षेत्रफल के अन्तर्गत साझा क्षेत्रों और सुविधाओं **(Common & Area Facilities)** का अविभाजित हित **(Undivided Interest)** सम्मिलित नही किया जायेगा।

नोट :–

1– ईकाईयों का क्षेत्रफल (लगभग), संख्या एवं तलों की संख्या इस पुस्तिका में दर्शायी गयी है।

2– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक अथवा उनके आश्रित तथा विकलांगों द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है। कालम संख्या 7 शर्तो में कोई परिवर्तन नही होगा।

3– अन्य शर्ते :–

1– आवंटन के पश्चात् वांछित धनराशि एवं किश्तें निर्धारित अवधि में जमा न करने पर 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा ।

2– अधिकतम 3 माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता को अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दें।

3– ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के निर्मित भवन का विस्तृत विवरण पुस्तिका में प्रदर्शित है।

4– आवंटी की मृत्यु की दशा में :–

शासनादेश संख्या 1/2418/आठ–1–14–80विविध/2010 दिनांक 26.08.2014 के बिन्दु संख्या–2.5 के अनुसार यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो सर्व प्रथम भवन का कब्जा उसके पति/पत्नी को एवं पति–पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री/विधिक उत्तराधिकारी को हस्तान्तरित हो सकेगा ।

5– आरक्षण :–

उत्तर प्रदेश गजट, 16 जुलाई 2016 ई0 (आषाढ़ 25, 1938 शक संवत) (भाग–8) कार्यालय, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ 16 जून 2016 ई0 सं0–574/**UPGDB/CS-1** सामा0/2016–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–95 की उप धारा (1) के खण्ड–3 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, 1966) के अधीन, अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अपनी योजनाओं में अनावासीय सम्पत्ति यथा निर्मित व्यवसायिक भवन/दुकान निर्मित/विकसित व्यवसायिक भूखण्ड एवं व्यवसायिक हाल आदि को निस्तारण करने के सम्बन्ध में एतद्‌द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते है :–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी विनियम–1980 (संशोधित फरवरी 1993, पुनः संशोधित मार्च 2016) कहलायेंगे, के भाग–2 के बिन्दु–6 सम्पत्ति में आरक्षण–(अ) व्यवसायिक भूखण्ड, दुकान एवं व्यवसायिक हाल (लीज की सम्पत्तियों एवं आवासीय भवन/भूखण्डों को छोड़कर जिनका निस्तारण नीलामी द्वारा किया जायेगा) में अनुसूचित जाति के आवेदकों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति के आवेदकों को 2 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 27 प्रतिशत अर्थात कुल 50 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित वर्गो के आवेदकों में से वे जिस आरक्षण वर्ग के लिए है, में निम्नवत आरिजान्टल आरक्षण प्रदान किया जायेगा :–

1– मा0 विधायक/सांसद/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	5 प्रतिशत
2– सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	5 प्रतिशत
3– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय	2 प्रतिशत

के कर्मचारी

4– भूतपूर्व एवं वर्तमामन सैनिक व उनके आश्रित 3 प्रतिशत

5– समाज के विकलांग व्यक्ति 3 प्रतिशत

6– वृद्धजन (वरिष्ठ नागरिक) 10 प्रतिशत

(ब) यदि आरक्षित वर्ग के आवेदक प्रथम नीलामी में भाग नही लेते तो जो सम्पत्ति आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित/आरक्षित है, उसको सामान्य वर्ग के आवेदकों के मध्य निस्तारित किया जायेगा।

6– आवंटन :–

1– शासनादेश संख्या 1/2418/आठ–1–14–80विविध/2010 दिनांक 26.08.2014 के बिन्दु संख्या–2.3 के अनुसार भवनों का आवंटन प्रस्तर–2.2 में गठित समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भवनों का आवंटन पात्र लाभार्थियों के पक्ष में हो।

2– लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से विकासकर्ता एवं प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगा ।

3– जो प्रार्थी पंजीकरण की अर्हता पूर्ण नही करते है उनका प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अधिकार गठित समिति में निहित रहेगा ।

4– किसी भी शशर्त आवेदन पर विचार नही किया जायेगा । अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त माने जाएंगे।

5– आवंअी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटी को प्राप्त माना जायेगा तथा इस विषय पर कोई दावा स्वीकार नही किया जायेगा ।

6– यदि आवंटी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि लिखित सूचना लाटरी की तिथि से 15 दिन के पूर्व प्राधिकरण को प्राप्त कराना होगा ।

7– पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी :–

1– जमा की जाने वाली धनराशि प्राधिकरण के खाते में जमा होने की तिथि से अनुगामी माह की पहली तारीख से पूर्व वापस नही की जायेगी, किसी पंजीकृत आवेदक से लाटरी में सफल न होने, निर्माण कार्य अथवा उसके स्थान में कोई परिवर्तन होने या, आवंटन हेतु आवेदक के अधिकृत न होने की दशा में आवेदक द्वारा जमा धनराशि दो माह के अन्दर बिना ब्याज रू0–1000.00 प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष धनराशि बिना ब्याज के एकाउण्ट पेयी चेक द्वारावापस कर दी जायेगी।

2– सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् एक माह के अन्दर धनराशि वापस लेने पर 20 प्रतिशत (पंजीकरण राशि पर) कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण बिना ब्याज के वापस की जायेगी, परन्तु जो आवंटी निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि जमा नही करते है और न ही आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर वापसी हेतु कोई लिखित सूचना देते है अथवा किन्ही कारणों से आवंटन निरस्त किया जाता है तो उन्हें पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत व सम्पत्ति मूल्य का 13 प्रतिशत की दर से दो माह के ब्याज की कटौती करते हुए उनका पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

8– तथ्यों को छिपाना :–

यदि आवेदक द्वारा दिया गया विवरण असत्य अथवा झूठा पाया जाता है या किसी तथ्य को छिपाया जाता है तो विकासकर्ता पूर्ण रूप से अधिकृत होगा कि आवंटी का आवंटन निरस्त कर दें अथवा रजिस्ट्री के पश्चात् आवंटी के विरूद्ध निरस्तीकरण हेतु वैधानिक कार्यवाही करते हुए आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर लें।

9– भवनों को लीज/फ्रीहोल्ड किया जाना :–

शासनादेश संख्या 1/2418/आठ–1–14–80विविध/2010 दिनांक 26.08.2014 के बिन्दु संख्या–2.5 के अनुसार भवनों का आवंटन लीज होल्ड के आधार पर किया जायेगा तथा आवंटन की तिथि से 05 वर्षो अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक आवंटित भवनों के

विक्रय/हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध रहेगा। 05 वर्ष के पश्चात् यह फ्रीहोल्ड माना जायेगा, जिसके सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा फ्रीहोल्ड परिवर्तन का औपचारिक आदेश एक माह के अन्दर जारी किया जायेगा । इस हेतु लाभार्थी द्वारा कोई भी फ्रीहोल्ड शुल्क देय नहीं होगा ।

10— फ्लैट का कब्जा :—

1— फ्लैट के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त निबन्धन निष्पादन के पश्चात् नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण करने पर आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा ।

2— निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ।

3— विकासकर्ता द्वारा सूचित अवधि में विक्रय विलेख न कराने पर एवं फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/चौकीदारी शुल्क देना होगा तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा ।

4— आवंटन तिथि से निर्धारित समय में भुगतान कर दिये जाने के पश्चात् भवन का कब्जा नही दिये जाने पर विकासकर्ता के डिफाल्ट की स्थिति में लाभार्थी द्वारा जमा की गयी धनराशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक क्षतिपूर्ति आवंटी को देय होगा।

11— शुल्क/कर आदि की देयता :—

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

12— सामान्य नियम एवं निर्देश :—

1— आवंटियों द्वारा सीलिंग कास्ट के अनुसार देय धनराशि का भुगतान सीधे विकासकर्ता को किया जायेगा तथा आवंटी के पक्ष में विक्रय विलेख के निबन्धन हेतु विकासकर्ता द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

2— आवंटियों को इस योजना के अन्तर्गत (पात्र होने की स्थिति में) ऋृण/अनुदान प्राप्त कराने में विकासकर्ता द्वारा यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3— आवंटन की प्रक्रिया में अन्य प्रचलित शर्तें/नियम अथवा शासन द्वारा समय—समय पर किये गये संशोधन/परिवर्धन लागू व मान्य होगा।

4— ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवन हेरीटेबल होंगे। 1 से अधिक ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का **Amalgamation** अथवा उन्हें जोड़ कर एक इकाई अथवा भवन बनाना प्रतिबन्धित होगा ।

5— भवन के स्पेसिफिकेशन हेतु मौके पर निर्मित भवनों को देखा जा सकता है।

6— भवनों का मूल्य वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिए ही निर्धारित है।

7— निर्माण/विकास कार्य के सम्बन्ध में किसी भी शिकायत के निस्तारण का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा ।

13— पंजीकरण प्रक्रिया :—

1— पंजीकरण विवरण पुस्तिका रू0—500.00 (जी0एस0टी0 सहित) किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर आन लाईन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** से डाउन लोड किया जा सकता है।

2— आवेदन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** से आनलाइन ही निर्धारित पंजीकरण अवधि के अन्दर करना होगा और निर्धारित पंजीकरण धनराशि भी आन लाईन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।

14— आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश :—

1— आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** से आनलाइन ही भरा जायेगा। आवेदन पत्र किसी भी दशा में आफ लाइन स्वीकार नही किया जायेगा ।

2— शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की व्यवस्था है।

3— पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

15— आनलाइन आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है :—

1– आवेदक का पास–पोर्ट साइज फोटो।

2– बैंक पासबुक/कैन्सिल चेक की छायाप्रति, जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड नम्बर अंकित हो।

3– निर्धारित सीमा के अन्दर का सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

4– आधार कार्ड की छायाप्रति।

5– पैन कार्ड की छायाप्रति ।

6– आरक्षित श्रेणी का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

7– शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित ।

उपरोक्त प्रमाण पत्र/अभिलेख के त्रुटिपूर्ण या न होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे, इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। (अन्य जानकारी के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, तारामण्डल, गोखपुर/विकासकर्ता के कार्यालय एश्प्रा लाईफ स्पेसेज, कारपेट आफिस द्वितीय तल बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर पर सम्पर्क करें)

(विकास केजरीवाल)
विकासकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि

शपथ–पत्र

(शपथ पत्र का प्रारूप रू–10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से फोटो सहित सत्यापित कराकर आवेदन पत्र के साथ दे)

एश्प्रा लाईफ स्पेसेज, कारपेट आफिस द्वितीय तल बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर

मै श्री/श्रीमती/कुं0..पिता/पति का नाम...तथा व्यवसाय का विवरण.............................आयु...........................वर्ष,पूर्ण पता.. ....मै..शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूॅं।

10. मैने पाम पैराडाईज आवासीय योजना के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवन के आवंटन हेतु तथा तत्सम्बन्धी भूमि..............................फ्रीहोल्ड/ पट्टे के रूप में प्रार्थना पत्र दिनांक.................. के तारतम्य में यह शपथनामा प्रेषित कर रही/रहा हूॅं।

11. यह कि मै बालिका हूॅं तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।

12. मै प्रार्थना–पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा/रही हूॅं और इसमें किसी प्रकार की बेनामी अधिकार नही है। मै यह शपथ सहित कहता/कहती हूॅं कि मेरे अथवा मेरे पति/पत्नी व नाबालिग बच्चों में से किसी के नाम पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत कोई भी भवन नही है, और न ही मैने/मेरी पत्नी,मेरे पति या नाबालिग बच्चे में से किसी ने भवन के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है।

13. मुझे एश्प्रा लाईफ स्पेसेज द्वारा पाम पैराडाईज आवासीय योजना में फ्लैट देने की सभी शर्तें व नियम मान्य है।

14. मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक भवन नही है और नही मै अथवा मेरा परिवार अरबन लैण्ड सीलिंग एण्ड रेगुलेशन एक्ट 1976 में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति रखेंगे।

15. मै यह स्वीकार करता हूॅं/करती हूॅं कि व्यवसायिक दुकान/भूखण्ड का रख रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ हालत में रखने क जिम्मेदारी मेरी होगी, और भवन के सम्पत्ति करों तथा अन्य जो भी कर देय होगे उसे देने का उत्तरदायी रहूंगा। जब तक मैं भवन की समस्त किश्तों व करो का पूर्ण भुगतान न कर दूॅं, मै एश्प्रा लाईफ स्पेसेज द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता रहूॅंगा/करती रहूॅंगी।

16. यह कि मै घोषित करता/करती हूॅं कि जब तक व्यवसायिक दुकान/भूखण्ड की समस्त किश्तो एवं करों के धन का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दूॅं मुझे भवन वेचने व गिरवी रखने का अधिकार न होगा, और न उसमें निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन विकासकर्ता की आज्ञा के बिना मै करूंगा/करूंगी, और न ही भवन के अतिरिक्त किसी अन्य यप्रयोग में लाऊंगा/लाऊंगी।

17. यदि एश्प्रा लाईफ स्पेसेज द्वारा आवंटित उक्त भ्वन का कब्जा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूॅं अथवा भवन की रजिस्ट्रर/पट्टा न कराऊ तथा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त अथवा नियम उल्लंघन करूं तो विकासकर्ता को यह अधिकार होगा कि व मेरा/हमारे द्वारा जमा समस्त धन को जब्त कर ले तथा भवन का आवंटन रद्द करदे एवं पुनःकब्जा कर ले।

18. ऊपर मैने/हमने जो कुछ कहा वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है,और उपरोक्त शपथ पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नही किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैने कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिक बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त विकासकर्ता को पूरा–पूरा अधिकार होगा कि पंजीकरण/आवंटन/रजिस्ट्रेशन एग्रीमेन्ट रद्द कर दे, पुनः कब्जा वापस कर ले, और इस सम्बन्ध में मेरे/हमारे द्वारा जमा धन को जब्त कर ले,और मेरे/हमारे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे करे, उसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी।

स्थान...................................

दिनांक.................................

शपथकर्ता के हस्ताक्षर